न्यायालय तहसीलदार गडरारोड़,जिला बाड़मेर

राजस्व प्रकरण संख्या 4/17 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 91

सायल बनाम गैरसालय

राजस्थन सरकार जरिये श्री ग्राम पंचायत आसाड़ी पुत्र श्री .....

पटवारी हल्का आसाड़ी ~~जाति~~..... ~~निवासी~~.....

तहसील गड़रारोड जिला बाड़मेर।

निर्णय" दिनांक 28.12.18

पत्रावली आज बमुकाम गड़रारोड़ में पेश हुई गैरसायल की अनु./उप. पत्रावली का हमने अवलोकन किया संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का आसाड़ी ने धारा 91 के तहत रिर्पोट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि गैर सायल ने मौका आसाड़ी के खसरा नंम्बर 791 रकबा ..... बीघा में से 0.01 बीघा किस्म गोचर सानकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कब्जा किया है। पटवारी हल्का की रिर्पोट के अनुसार गैर सायल के विरूद्ध धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट 1956 के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्ट्रर कर गैर सायल को जरिये नोटिस के सुनवाई हेतु तलब किया गया नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ /गैरसायल ने उपस्थित होकर पटवारी की रिर्पोट अनुसार अतिक्रमण करना स्वीकार किया।

अतः गैर सायल को आर.एल.आर. एक्ट 1956 धारा 91 का उल्लघंन करने पर गैरसायल को अतिक्रमी घोषित किया जाकर उक्त विवादग्रस्त भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते है साथ ही वार्षिक लगान के पुर्णाक का 50 गुणा जुर्माना राशि रूपये 50 अक्षरे पचास रूपये मात्र से आरोपित किया जाता है। जो गैर सायल से वसुल हो।

पटवारी हल्का ~~सांपुमानाजी~~ आसाड़ी को आदेशित किया जाता है कि वह मौके पर गैरसायल को भौतिक रूप से बेदखल कर भूमि का कब्जा बहक सरकार प्राप्त कर पूर्ण पालना आवश्यक रूप से एक माह में पेश करे। टी. आर .ए ,पटवारी हल्का , निरीक्षक भू.अ. आदेश से सुचित हो तथा पत्रावली टी. आर .ए के पास मांग कायमी हेतु भेजी जावे।

निर्णय दिनांक 28.12.18 को सरेआम सुनाया गया।

तहसीलदार गडरारोड

जुमाना 50 फसल नि. .....
कुल योग 50/- रजि.के पृष्ठ सं. 13
वर्ष 2018-19 में इन्द्राज किया गया ।

तहसील राजस्व लेखाकार

Scanned by CamScanner